

प्रश्न सं. [क. 1217]

परिशिष्ट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 1217 द्वारा माननीय विधायक, श्रीमती पारूल साहू केशरी
परियोजना क्रमांक 19 संबंधी शिकायते एवं की गई कार्यवाही

क्र	शिकायत का स्रोत	शिकायत की विषय वस्तु	कृत कार्यवाही
1	मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र सुरखी	विकासखण्ड जैसीनगर में वाटरशेड योजना में गडबडी की जांच बावत्।	जांच में पाये गये दोषियों पर रूपये 1,42,380/- की वसूली अधिरोपित की गई है। टीम लीडर व टीम सदस्य (सिविल अभियांत्रिकी) का संविदा दायित्व समाप्त किया गया है तथा वाटरशेड समितियों के अध्यक्षों को परियोजना से पृथक किया गया है।
2	श्री सुशील कुमार सोनी, टीम सदस्य (सिविल अभियांत्रिकी), परियोजना क्रमांक 19	व्यक्तिगत शोषण एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में कार्यवाही करने बावत्।	जांच में शिकायत सही नहीं पायी गई है।
3	मान. मंत्री, गृह एवं परिवहन विभाग	श्री सुशील कुमार सोनी, टीम सदस्य (सिविल अभियांत्रिकी) के द्वारा	
4	मान. सांसद, लोकसभा क्षेत्र सागर	प्रस्तुत शिकायत के संबंध में आवश्यक	
5	मान. अध्यक्ष, जिला पंचायत, सागर	कार्यवाही करने बावत्।	

परियोजना क्रमांक 6 संबंधी प्राप्त शिकायते एवं की गई कार्यवाही

क्र	शिकायत का स्रोत	शिकायत की विषय वस्तु	कृत कार्यवाही
1	जिला स्तर पर पी.एफ.एम.एस. रिपोर्ट की समीक्षा	प्रशिक्षण मद में राशि रूपए 7,99,450/- का भुगतान अशासकीय संगठन - राष्ट्रीय युवा एकता मण्डल को किये जाने बावत्।	जांच में अनियमितता पाये जाने पर परियोजना के समस्त आहरणों पर रोक लगा दी गई है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी नामतः सुगम जनहित संस्थान पर रूपए 7.99 लाख की वसूली अधिरोपित की गई है। रूपए 1.00 लाख जमा कराये जा चुके हैं।
2	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर	संरचनाए क्षतिग्रस्त होने बावत्	जांच में 04 संरचनाएं गुणवत्ताहीन पायी गईं। वाटरशेड समिति - सडेरी के अध्यक्ष, सचिव तथा परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के टीम सदस्य (सिविल अभियांत्रिकी) को परियोजना से पृथक किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी नामतः सुगम जनहित संस्थान पर रूपए 10.32 लाख की वसूली अधिरोपित की गई है।